राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.–2 / 2023 / 5623 दिनांक : 12/07/2023

संशोधित कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में कार्यरत मन्त्रालयिक संवर्ग में आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 03–07–2023 के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2023 के द्वारा विश्वविद्यालय में अनुभागाधिकारी व सहायक [illegible] आरक्षित श्रेणी के योग्य कार्मिक उपलब्ध नहीं होने व आगामी [illegible] की स्थिति में यह महसूस किया गया कि वर्तमान में उक्त पदों पर [illegible] विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्य, सम्बद्धता कार्य, महाविद्यालयों / विभागों / केन्द्रों में विभागीय कार्य अत्यन्त प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. (1) डीओपी / ए–II / 2008, दिनांक 17–01–2013 के बिन्दु संख्या–(4ख) में वर्णित प्रावधानानुसार लोकहित व संस्थाहित में उक्त पदों को आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदो के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के कार्मिकों को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर 'Urgent Temporary Basis' पर पदोन्नति प्रदान की गई।

उक्त क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.–2 / 2023 / 4581, दिनांक 30–06–2023 व संस्था.–2 / 2023 / 4621, दिनांक 30–06–2023 में निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित किया जाता है :–

"सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जाति या यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति 'Urgent Temporary Basis' के आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी–भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा।"

12/7/23

क्रमांक : संस्था.–2 / 2023 / 5624 – 5700 दिनांक : 12/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त निदेशक / प्राचार्य / विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक / अशैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
2. मुख्य आवासाधिकारी / मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
4. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
7. सहायक विधि परामर्शी / विधि सहायक, विधि प्रकोष्ठ / नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव–कुलपति / निजी सहायक–कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर

12/07/2023